कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री गोदरेज कन्जूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गाजियाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**117 / 10, 30.12.2010**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री गोदरेज कन्जूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 30.12.2010 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ' गोदरेज नूपुर 100% नेचुरल मेहन्दी ' पर, कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 30.01.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा मेहन्दी की बिक्री उत्तर प्रदेश तथा सम्पूर्ण भारत में की जाती है। यह उत्पाद पाउच में पैक किया जाता है। यह शत-प्रतिशत नेचुरल मेहन्दी होती है इसमें कोई सिन्थेटिक डाई अथवा रंग नहीं मिलाया जाता है अपितु मेहन्दी की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ऑवला, ब्राम्ही, भृंगराज, जसवन्त, ऐलोवीरा पत्ती, मेथी दाना, जटामासी एवं शिकाकाई मिलाया जाता है। पाउच के ऊपर 100% नेचुरल मेहन्दी अंकित रहता है जो कि ऑवला, ब्राम्ही, भृंगराज एवं अन्य जडी बूटियों की अच्छाई से युक्त होता है। इस उत्पाद की मार्केटिंग मेहन्दी के नाम से की जाती है। इसे जन साधारण की भाषा में मेहन्दी के नाम से जाना व प्रयोग किया जाता है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-द्वितीय गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या-91, दिनांक 21.04.2012 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि उक्त प्रोडक्ट '' नूपुर मेहन्दी '' है न कि मेहन्दी पाउडर। उपभोक्ताओं द्वारा इसे इसी ब्राण्ड नेम से इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि इसमें नौ विशिष्ट जड़ी बूटियों के तत्व मिले हुए हैं जिसके कारण '' हेयर केयर '' प्रोडक्ट के रूप में इसकी गुणवत्ता एवं मूल्य सामान्य मेहन्दी पाउडर से सर्वथा अलग है। वस्तुत: मेहन्दी पाउडर प्रश्नगत उत्पाद का '' बेस मेटेरियल '' हो सकता है किन्तु प्रश्नगत उत्पाद की गुणवत्ता इसमें मिलाये गये नौ विशिष्ट जड़ी बूटियों के तत्वों पर आधारित है।

प्रार्थी द्वारा हेयर केयर प्रोडक्ट के रूप में विशिष्ट ब्राण्ड नेम से जो नूपुर मेहन्दी बेची जाती है वह बाजार में या सामान्य जनमानस में '' मेहन्दी की पत्तियों का पाउडर '' के रूप में नहीं जानी जाती है बल्कि, इस प्रोडक्ट की पहचान इसमें मिलाये गये नौ विशिष्ट जड़ी बूटियों के तत्वों एवं उसके प्रभाव से है जिन्हें कम्पनी ने गहन शोध के पश्चात अंगीभूत किया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा दाखिल किये गये रिटर्नों में प्रश्नगत उत्पाद को प्रारम्भ से ही अवर्गीकृत श्रेणी में मानते हुए 13.5% की दर से करयोग्य माना जाता रहा है और किसी भी रिटर्न में प्रोडक्ट का नाम '' मेहन्दी पाउडर '' नहीं लिखा गया है बल्कि

.....2

'' नूपुर मेहन्दी '' लिखा गया है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-23 पर करमुक्त वस्तु के रूप में कई अन्य वस्तुओं के साथ '' mehndi leaves and its powder '' की प्रविष्टि वर्गीकृत की गयी है। प्रार्थी द्वारा कुछ विशिष्टताओं के साथ '' नूपुर मेहन्दी '' ब्राण्ड नेम से अपना प्रोडक्ट बिक्री किया जाता है जो निश्चित रूप से करमुक्त वस्तुओं की प्रविष्टि में mehndi leaves and its powder से भिन्न वस्तु है। अत: यह करमुक्त की श्रेणी में नहीं आ सकता है। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-द्वितीय गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या से सहमति व्यक्त की गई। यह भी कहा गया कि उक्त आख्यानुसार प्रार्थी व्यापारी के द्वारा दाखिल किये गये मासिक / वार्षिक रिटर्नों में अपने उत्पाद का नाम '' नूपुर मेहन्दी '' लिखते हुए अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 13.5% की दर से करदेयता स्वीकार व जमा किया जा रहा है। चूँकि प्रार्थी द्वारा नियमित मासिक रिटर्न दाखिल किये जा रहे हैं इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही विचाराधीन है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 की व्यवस्था के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण इस प्रश्न पर निर्णय नहीं दिया जा सकता जिसके कारण प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना औचित्यपूर्ण हो सकता है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-द्वितीय गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रश्नगत व्यापारी नियमित रूप से मासिक / त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में पारित निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) के आलोक में रिटर्न दाखिल होने के कारण कार्यवाही विचाराधीन मानी जायेगी। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधानानुसार प्रकरण में कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है जिसे अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 4 फरवरी, 2014

ह0 / 04.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।